संख्या-534/2020/518/22-2-2020-17(202)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2020***

विषय:-जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री जिमिदार सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री जिमिदार सिंह, ग्राम-इटहुआ, थाना-फखरपुर जनपद-बहराइच का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी को लेकर दिनांक 03.09.1996 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कांता व लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बहराइच के आदेश दिनांक 06.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.09.2003 द्वारा यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2020 तक 16 वर्ष 03 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगन्नाथ सिंह (बन्दी संख्या-39/2015) पुत्र श्री जिमिदार सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-534/2020/518(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बलरामपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in